भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/09/2021/एफ.सी./1084 दिनांक21/11/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद.पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध मे। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020)**

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक **482/FP/UK/ROAD/43777/2020 दिनांक 08.09.2023** (received online on 05.10.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22-03-2021 का जवाब संदर्भित पत्र द्वारा दिया गया है जिसका अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 .03 .2021 का जवाब तय सीमा में नहीं दिया गया। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि गाईडलाईन के पैरा 1 .20 के अनुसार प्रस्ताव के nature & scope पर आवश्यक comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ये अवगत किया गया है की जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किया गया है किन्तु आदेश में उल्लिखित भू भाग के status (9 (3) (ड़) से ये दर्शित होता है की मार्ग निर्माण से पूर्व FCA 1980 के अंतर्गत मंजूरी ली जानी चाहिए थी जो नहीं ली गयी अतः ये FCA 1980 के प्रावधानों का उलंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी से 3A & 3B में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करें।
3. ग्राम मयाल पूर्व में ही दूसरी ओर से पुल से जुड़ा हुआ है अतः मयाल तक मार्ग के ले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस संदर्भ में औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. Existing मार्ग को ग्राम गुरना तक बढाकर मानचित्र की बिंदु संख्या 9 तक ही सिमित कर तमहनसंतप्रंजपवद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य सरकार इस संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली **एफआरसीएम की आगामी बैठक में चर्चा** किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध करने के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को क्षेत्र का निरिक्षण कर detailed report के साथ आगामी FRCM की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए उपस्थित होने एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **एफ0आर0सी0एम0 की बैठक के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण** देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)